न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 09/2019
दायर दिनांकः 15.11.2019
निर्णय दिनांक 21.06.2022

—:अनवानः—

श्री नारायणसिंह पिता श्री हरिसिंह राजपूत निवासी अरनिया तहसील आमेट

— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद जिला राजसमंद

— रेस्पोण्डेंट

अपील विरुद्ध आदेश पारित द्वारा तहसीलदार, राजसमंद प्रकरण संख्या 30/2019 निर्णय दिनांकः 08.11.2019 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— पेरोकार सरकार

प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री नारायण सिंह को ग्राम बोरज का खेडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद में आराजी नंबर 810 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म उद्योग हेतु जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांकः प. 12/3ग5राजस्व/उद्योग/2010/11—17 दिनांक 04.01.2011 को आवंटित की गई थी। तहसीलदार, राजसमंद द्वारा आराजी नं. 810 रकबा 1.14 बीघा भूमि में से 0.10 बीघा भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से अतिचारी का अतिक्रमण हटा कर बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के जारी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट के द्वारा यह अपील न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। तहसीलदार, राजसमंद द्वारा कार्यालय की गठित टीम से राजस्व ग्राम बोरज का खेडा की आराजी नं. 821/810 की मौके एवं रेकर्ड अनुसार जांच करवाई गई । जांच टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

अनुसार तहसीलदार द्वारा अवगत कराया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार आ.न. 821/810 रकबा 0.2428 किस्म उद्योग अर्थात 1.10 बीघा भूमि श्री नारायण सिंह पुत्र श्री हरिसिंह राजपूत नि. अरणिया तहसील आमेट को उद्योग प्रयोजनार्थ 99 वर्ष की लीज होल्डर होकर दर्ज रिकार्ड है। जो आ.नं. 810 ग्राम बोरज का खेडा में आवंटन होकर 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि 810 में रही जिसे संलग्न नक्शे में दिखाया गया। राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि चरागाह दर्ज है। राजस्व ग्राम बोरज का खेडा के वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार आ.नं. 810 रकबा 0.2752 (1.14बीघा) किस्म बंजड होकर चरागाह खेडा अधिनस्थ ग्राम पंचायत बोरज के नाम दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थी को आवंटित आ.नं. 821/810 रकबा 0.2428 अर्थात 1.10 बीघा उद्योग भूमि है जिसमें से पूर्व दिशा करीब 0.04.12 बीघा भूमि पर अप्रार्थी काबिज नहीं है। यह कि अप्रार्थी मौके पर करीब 1.13.10 बीघा भूमि पर काबिज है इसके अलावा आवंटित भूमि उत्तर दिशा में रास्ते के उपयोग हेतु छोड़ी गई 0.05 बीघा भूमि पर लोहे की फाटक व दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अप्रार्थी की कब्जेशुदा में अप्रार्थी को आवंटित आ.नं. 821/810 के अलावा आ.नं. 810 की भूमि रकबा करीब 0.10 बीघा भूमि भी सम्मिलित है। अतिक्रमित आ.नं. 810 की उत्तरी दिशा में करीब 0.05 बीघा भूमि जो रास्ते के उपयोग के लिये छोड़ी गई थी, उस पर लोहे की फाटक व दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है एवं इसी आराजी, आराजी नंबर 810 के पश्चिम दिशा में करीब 0.05 बीघा भूमि पर ऑफिस, गार्डन व मार्बल स्लेब्स रखने के यार्ड बने होकर अतिक्रमण किया हुआ है। मौके पर आंवटन एवं कब्जेशुदा भूमि के बाहर दक्षिण दिशा में सड़क तथा पश्चिम दिशा में नहर व सड़क बनी हुई है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में बताया कि आ. नं. 810 अपीलार्थी को औद्योगिक आवंटन हुआ है। पड़ौसियों को अंकन करते हुए पट्टा जारी हुआ है। धारा 91 के अंतर्गत बेदखली आदेश देने से अपील न्यायालय में चेंलेज किया है। सिविल कोर्ट में आदेश स्टे कर रखा है। जब तक सिविल कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता तब तक कार्यवाही स्थगित रखी जावे। आ.नं. 810 में उद्योग चल रहा है। मेरी आवंटन शुदा भूमि के अलावा 91 पाया जाता है तो तहसीलदार कार्यवाही करे। तहसीलदार का आदेश, मौका रिपोर्ट भी गलत बनाई है। तहरीर भी यही जारी की है। इस आदेश के पश्चात पार्टी द्वारा पुनः कार्यवाही की है, मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी रिट की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2019 को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया है।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस में बताया कि अलोटशुदा भूमि के अलावा 10 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है। 10 बिस्वा भूमि का 91 बनाया गया है। 05 बिस्वा भूमि पर ऑफिस बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधिनुकूल होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार, राजसमंद की रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 के अवलोकन से प्रकट हैं कि अपीलांट श्री नारायण सिंह को ग्राम बोरज का खेडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद को आराजी नंबर 810 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म उद्योग हेतु जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांकः प. 12/3ग5राजस्व/उद्योग/2010/11–17 दिनांक 04.01.2011 को आवंटित की गई थी। अप्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि में अप्रार्थी को आवंटित आ.नं.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

821/810 के अलावा आ.नं. 810 की भूमि रकबा करीब 0.10 बीघा भूमि भी सम्मिलित है। अतिक्रमित आ.नं. 810 की उत्तरी दिशा में करीब 0.05 बीघा भूमि जो रास्ते के उपयोग के लिये छोड़ी गई थी, उस पर लोहे की फाटक व दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है एवं इसी आराजी, आराजी नंबर 810 के पश्चिम दिशा में करीब 0.05 बीघा भूमि पर ऑफिस, गार्डन व मार्बल स्लेब्स रखने के यार्ड बने होकर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलांट को उद्योग हेतु दिनांक 04.01.2011 को आवंटित भूमि 01.10 बीघा भूमि के अतिरिक्त अतिक्रमित आ.नं. 810 की उत्तरी दिशा में करीब 0.05 बीघा भूमि जो रास्ते के उपयोग के लिये छोड़ी गई थी, उस पर लोहे की फाटक व दीवार बनाकर तथा इसी आराजी नंबर 810 के पश्चिम दिशा में करीब 0.05 बीघा भूमि पर ऑफिस, गार्डन व मार्बल स्लेब्स रखने के यार्ड बनाये जाकर अतिक्रमण किया जाने से अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो तो अपीलांट को पुनः सुनकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करे।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, राजसमंद द्वारा पारित आदेश प्र.सं. 30/2019 निर्णय दिनांक 09.08.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार,राजसमंद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट को उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के नक्शा ट्रेस अनुसार तहसीलदार स्वंय मौके की जांच कर आवंटित भूमि के नक्शा ट्रेस अनुसार अपीलांट काबिज नहीं है तो अतिक्रमित भूमि पर किया गया निर्माण को ध्वस्त किया जावे। यदि अपीलांट उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में यदि कोई साक्ष्य/सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो पुनः सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण करे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 21.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद